

अंचल अधिकारी
अभिलेख वाद संख्या- 49(VI)2016-17
वादा का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच
एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के शापांक-2074/रा. दिनांक-13.05.2016
सहपठित-भी अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि
सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2008/रा. दिनांक-03.09.1985
एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा. दिनांक-09.12.1998 में निहित
निदेश के अनुपालन में गैरमजदूरा खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच
प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अफिनोद्वारा प्रतिवेदित किया
गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि -

मौजा- पाकेर बैरा, थाना- 129, खाता संख्या- 139, प्लॉट संख्या-
1372, एकड़- 0.40, एकड़ की भूमि जो गैरमजदूरा खास, अनाबाद बिहार
(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उरी मौजा के पंजी-11
के जिल्द संख्या- I के पृष्ठ संख्या- 228 पर जमाबंदी रैयत निरकर मंगरी
के नाम से कायम है। पिता गोविन्द मंगरी

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की
भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत
होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के
आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार
पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं
राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की
सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम
1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से
संबंधित मूल दरस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें,
कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार
अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया
जाय।

अभिलेख दिनांक- 05/8/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित
अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी
तोपमान


27.11.2020


अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कामजात समर्पित करने हेतु समय का मॉग किया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा पाकेखेड़ा। मौजा नं० 129 खाता नं० 139
... प्लॉट नं० 1372 रकबा 0.40

से संबंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी 11 के जमाबंदी भोलुम नं० I के पृष्ठ सं० 229 में रैयत चिरकाभांजी पिता शीविंद भांजी सा० - पाकेखेड़ा, तोपचौची के नाम से कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम में, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।


27/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचौची।


27/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचौची।

संदिग्ध / संदेहारस्पद जमाबंदी संबंधी जांच प्रतिवेदन

3000
28/10

संदिग्ध / संदेहारस्पद जमाबंदी रैयत का नाम - मिटरा धौग्री पिता श्री गोविंद गोरी
जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण -

मीजा पाकेरवेडा खाना सं० 129 खाता सं० 139 प्लॉट सं० 1372 रकबा 0.40२

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं० 228 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 96-97
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम - मि. आकाशदास
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है 2 जे. सी. ई.
7. यदि संदेहारस्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम -
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती -
9. संदेहारस्पद जमाबंदी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई (शुतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

बन्दोबस्ती पंजी

10. संदेहारस्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	356124	20.8.96	96-97
2	2062224	30.2.08	2006-07

[Signature]
cl

[Signature]
[unclear]